संख्या:15/2021/559/46-1-21-1000(11)/2020

प्रेषक,

बच्चू लाल,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिला गन्ना अधिकारी/बीज उत्पादन अधिकारी,
सहारनपुर, मुज़फ्फरनगर, शामली, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, हापुड़, बुलन्दशहर, बिजनौर, अमरोहा, सम्भल, रामपुर, बरेली, बदायूँ, पीलीभीत, शाहजहाँपुर, लखीमपुर-खीरी, सीतापुर, हरदोई, अयोध्या, अम्बेडकरनगर, गोण्डा, बलरामपुर, बहराइच, बस्ती एवं कुशीनगर।

चीनी उद्योग अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 23 मार्च, 2021

विषय- चीनी मिल क्षेत्रों में निर्मित सम्पर्क मार्गों का सुदृढ़ीकरण/पुनर्निर्माण (जिला योजना) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-23 (सामान्य) के अन्तर्गत संशोधित प्रशासकीय स्वीकृति एवं प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष द्वितीय किश्त की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आयुक्त, गन्ना एवं चीनी, उ.प्र. के पत्र संख्या 1420(2)/12-निर्माणः अ.ग्रा., दिनांक 13.03.2021 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चीनी मिल क्षेत्रों में निर्मित सम्पर्क मार्गों का सुदृढ़ीकरण/पुनर्निर्माण हेतु निर्धारित फण्डिग पैटर्न 80:20 के अनुसार 80 प्रतिशत राज्यांश के रूप में चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-23 के अन्तर्गत प्राविधानित राज्यांश की धनराशि रू.1125.00 लाख के सापेक्ष कुल 41 सम्पर्क मार्गों/सड़कों का निर्माण कार्य कराने हेतु संलग्नक में 41 सम्पर्क मार्गों के स्तम्भ-6 में अंकित संशोधित लागत रू.1406.217 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उसके सापेक्ष देय राज्यांश की कुल धनराशि रू.1124.691 लाख के सापेक्ष शासनादेश संख्या-01/2021/2018/46-1-20-1000(11)/2020, दिनांक 09.01.2021 द्वारा प्रथम किश्त के रूप में स्वीकृत धनराशि रू.562.497 लाख सड़कवार/परियोजनावार के पश्चात अवशेष धनराशि को संलग्नक के स्तम्भ-9 के अनुसार द्वितीय किश्त के रूप में धनराशि रू.562.194 लाख (रूपये पांच करोड़ बासठ लाख उन्नीस हजार चार सौ मात्र) अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के साथ सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया हैकता नही है ।क्षर की आवश्यइस पर हस्ता :अत ,

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(1) परिषद अंश की धनराशि की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उपरान्त ही जनपद विशेष के लिए स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष उसी सीमा तक धनराशि आहरित की जायेगी, जिस सीमा तक जनपद की जिला योजना में धनराशि का प्राविधान/आवंटन किया जा रहा है।

(2) जिला गन्ना अधिकारी/बीज उत्पादन अधिकारी द्वारा राज्यांश का भुगतान तभी किया जायेगा जब सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किये गये आगणनों के अनुसार ही व्यय किया गया होने की पुष्टि कर दी जाय।

(3) कार्य की विशिष्टियॉ मानक व गुणवत्ता के साथ कराये जाने की जिम्मेदारी संबंधित कार्यदायी संस्था तथा जिला गन्ना अधिकारी/बीज उत्पादन अधिकारी की होगी। निहित प्रयोजन से यदि कोई धनराशि अवशेष बचती है, तो उसे व्यय करने के संबंध में प्रस्तर 1-के अनुसार शासकीय अंशदान के सापेक्ष जिला अनुश्रवण समिति के अतिरिक्त कार्ययोजना स्वीकृत कराकर उस पर शासन का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा। अन्यथा की स्थिति में अवशेष धनराशि चालू वित्तीय वर्ष में ही वित्त विभाग को समर्पित की जायेगी।

(4) समस्त कार्यों हेतु कार्यदायी संस्था, अभियंत्रण शाखा कार्यालय गन्ना आयुक्त, उ.प्र. होगी। समस्त कार्य निर्धारित एवं अनुमोदित मानकों तथा विशिष्टियों के अनुरूप चालू वित्तीय वर्ष में सम्पादित कराये जायेंगे। यदि किसी अपरिहार्य परिस्थितिवश निर्धारित मानकों/विष्शिटियों में परिवर्तन किया जाना अपेक्षित हो तो उक्त परिवर्तन/विचलन स्वीकृत मूल आगणन में 5 प्रतिशत की सीमा तक अवर अभियंता/सहायक अभियंता द्वारा तैयार विचलन जिला गन्ना अधिकारी/अधिशासी अभियंता की संस्तुति पर अधीक्षण अभियंता द्वारा तथा 5 प्रतिशत से अधिक के विचलन/व्याधिक्य पूर्ति हेतु स्वीकृति अधीक्षण अभियंता की संस्तुति पर मुख्य अभियंता के द्वारा इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जायेगी कि प्रस्तावित कार्यों के विचलन/व्याधिक्य पूर्ति हेतु बजटीय प्राविधान सम्बन्धित जनपद के अन्तर्गत उपलब्ध है।

(5) सेंटेज चार्जेज की धनराशि शासनादेश संख्या-ए-2-23/दस-2011-17(4)/75, दिनांक 25-01-2011 तथा शासनदेश संख्या-ए-1606/दस-2014-17(4)/75, दिनांक 11-11-2014 की व्यवस्थानुसार अनुमन्य होगी। प्रस्तर 1-में स्वीकृत धनराशि में संलग्नक के स्तम्भ-12 में अंकित सेटेंज की धनराशि जिला गन्ना अधिकारी/बीज उत्पादन अधिकारी द्वारा कोषागार से आहरित कर सीधे ही कार्यदायी संस्था, अभियन्त्रण शाखा, कार्यालय गन्ना आयुक्त, उ.प्र; को दी जायेगी।

(6) उक्त योजना के अन्तर्गत संचालित कार्यक्रमों के अन्तर्गत अनुदान बजट में निर्धारित सीमा के अन्दर किया जायेगा तथा योजना के संचालन का मूल्यांकन करते हुए उसकी रिपोर्ट शासन/वित्त विभाग को वित्तीय वर्ष की समाप्ति (दिनांक 31.03.2021) से पूर्व अनिवार्य रुप से उपलब्ध कराया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया हैकता नही है ।क्षर की आवश्यइस पर हस्ता :अत ,

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(7) आवंटित धनराशि को किसी ऐसे मद में न व्यय किया जाय, जिसके लिए फाइनेन्शियल हैन्ड बुक/बजट मैनुअल तथा स्टोर परचेज के नियम के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। ऐसा व्यय अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जाय। इस संबंध में वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप सख्या:01/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24.03.2020 एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों/आदेशों तथा बजट मैनुअल के प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(8) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्रायोजना पर सक्षम स्तर से एप्रेजल (Appraisal) एवं तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(9) स्वीकृति धनराशि प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद हेतु व्यय की जायेगी जिस कार्य/मद हेतु स्वीकृत की गयी है। ऑकड़ों की शुद्धता एवं धनराशि की अनुमन्यता सुनिश्चित करेंगे।

(10) यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।

(11) कार्य की विशिष्टयॉ मानक व गुणवत्ता आदि सुनिश्चित किया जायेगा तथा यथासमय उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।

(12) योजना में निहित राज/सहायता अनुदान का लेखा-जोखा रखने तथा प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र/व्यय-विवरण महालेखाकार, प्रयागराज तथा वित्त विभाग एवं शासन को नियमित रूप से उपलब्ध कराने एवं महालेखाकार, प्रयागराज से लेखाओं के नियमित मिलान की कार्यवाही सुनिश्चित कराने का उत्तरदायित्व जिला गन्ना अधिकारी/वित्त नियंत्रक, कार्यालय गन्ना आयुक्त, उ.प्र., लखनऊ की होगी।

(13) स्वीकृत धनराशि एकमुश्त आहरित न कर धनराशि का आहरण निर्माण कार्य हेतु तत्कालीन आवश्यकता होने पर ही आवश्यक धनराशि आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्थाओं को उपलब्ध करायी जाय। आहरित धनराशि बैंक/पी.एल.ए./पोस्ट आफिस अथवा डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

(14) शासनादेश के अनुसार स्वीकृत निर्माण कार्यों के सापेक्ष प्रस्तावित कार्य को पूर्ण कर लिये जाने पर पारदर्शिता तथा सामान्यजन को पूर्ण जानकारी प्राप्त होने के दृष्टिगत पूर्ण कार्यों काविविरण विभागीय वेबसाइट पर जनपदीय अधिकारियों के द्वारा अनिवार्य रूप से अपलोड भी किया जायेगा।

2. उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-23 के लेखाशीर्षक "5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04-जिला तथा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया हैकता नही है ।क्षर की आवश्यइस पर हस्ता :अत ,

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

अन्य सड़कें-337-सड़क निर्माण कार्य-04-चीनी मिल क्षेत्रों में निर्मित सम्पर्क मार्गों का सुदृढ़ीकरण एवं पुनर्निर्माण-24-वृहत निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-6-259/दस-2021, दिनांक 23 मार्च, 2021 से प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

(संलग्नक-उपर्युक्तानुसार।)

भवदीय,

बच्चू लाल

संयुक्त सचिव।

संख्या-15/2021/559(1)/46-1-2021, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ.प्र., प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ.प्र., प्रयागराज
3. महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्ष), उ.प्र., छठां तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ।
4. गन्ना आयुक्त, उ.प्र., लखनऊ।
5. वित्त नियंत्रक, कार्यालय गन्ना आयुक्त, उ.प्र., लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि संदर्भित धनराशि/बजट को सेन्ट्रल सर्वर के माध्यम से जनपदों को आवंटित करने का कष्ट करें।
6. संबंधित जनपदों से सम्बन्धित मण्डलायुक्त।
7. संबंधित जनपदों के जिलाधिकारी।
8. संबंधित जनपदों के कोषाधिकारी।
9. संबंधित क्षेत्रीय उप गन्ना आयुक्त/संयुक्त गन्ना आयुक्त, उ.प्र.।
10. नियोजन अनुभाग-4/राज्य योजना आयोग-1/2
11. वित्त (व्यय (नियंत्रण-अनुभाग-6/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
12. बजट प्रकोष्ठ/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

सुशील कुमार शुक्ल

उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया हैकता नही है ।क्षर की आवश्यइस पर हस्ता :अत ,

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या:15/2021/559/46-1-2021, दिनांक 23 मार्च, 2021 का संलग्नक

क्र.सं.	जनपद	सं.	मार्ग का नाम	संशोधित			देय राज्यांश की धनराशि के सापेक्ष प्रथम किस्त के रूप में 50 % अवमुक्त धनराशि (ला.रू.)	राज्यांश की द्वितीय किस्त के रूप में अवमुक्त की जा रही धनराशि (ला.रू.)	सेन्टेज की धनराशि (लाख रू.)	सेन्टेज की कुल धनराशि के सापेक्ष प्रथम किस्त के रूप में 50 % अवमुक्त धनराशि (ला.रू.)	सेन्टेज की द्वितीय किस्त के रूप में अवमुक्त की जा रही धनराशि (ला.रू.)	मार्ग के निर्माण हेतु सेन्टेज रहित धनराशि (लाख रू)	मार्ग के निर्माण हेतु सेन्टेज रहित कुल धनराशि के सापेक्ष प्रथम किस्त के रूप में 50 % अवमुक्त धनराशि (ला.रू.)	मार्ग के निर्माण हेतु सेन्टेज रहित कुल धनराशि के सापेक्ष द्वतीय किस्त के रूप में अवमुक्त की जा रही धनराशि (ला.रू.)
				लम्बाई (कि.मी.)	अनुमानित लागत (लाख रू.)	80 % राज्यांश की धनराशि (लाख रू.)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	सहारनपुर	1	रायचन्दा हुसैनपुर मार्ग	0.850	27.886	22.303	10.848	11.455	2.456	1.196	1.260	19.847	9.652	10.195
	सहारनपुर	2	भायला खुर्द से राजवाहे की ओर	0.560	19.504	15.599	7.025	8.574	1.718	0.774	0.944	13.881	6.251	7.630
	सहारनपुर	3	नल्हेडा रणदेवा मार्ग	0.600	19.942	15.950	7.832	8.118	1.757	0.864	0.893	14.193	6.968	7.225
		3	योग जनपद सहारनपुर	**2.010**	**67.332**	**53.852**	**25.705**	**28.147**	**5.931**	**2.834**	**3.097**	**47.921**	**22.871**	**25.050**
2	मु. नगर	1	जौली रोड से टन्हेड़ा ग्राम की ओर	0.315	8.530	6.822	3.906	2.916	0.751	0.432	0.319	6.071	3.474	2.597
	मु. नगर	2	सिसौना से नयागांव (एन.एच.-58 से बल्लूमाजरा)	1.150	34.266	27.406	13.244	14.162	3.018	1.460	1.558	24.388	11.784	12.604
	मु. नगर	3	सफीपुर भैसाना मार्ग	0.860	29.500	23.594	11.449	12.145	2.599	1.263	1.336	20.995	10.186	10.809
	मु. नगर	4	भौराकलां से खेडीपटटी मार्ग	1.500	51.054	40.833	19.622	21.211	4.497	2.163	2.334	36.336	17.459	18.877
		4	योग जनपद मु. नगर	**3.825**	**123.350**	**98.655**	**48.221**	**50.434**	**10.865**	**5.318**	**5.547**	**87.790**	**42.903**	**44.887**
3	शामली	1	मुल्लापुर से जमालपुर	0.835	30.056	24.039	12.454	11.585	2.648	1.374	1.274	21.391	11.080	10.311
		1	योग जनपद शामली	**0.835**	**30.056**	**24.039**	**12.454**	**11.585**	**2.648**	**1.374**	**1.274**	**21.391**	**11.080**	**10.311**
4	मेरठ	1	करनावल से नारंगपुर मार्ग	1.700	59.253	47.391	23.266	24.125	5.219	2.565	2.654	42.172	20.701	21.471
	मेरठ	2	ग्राम माछरा से अमरपुर सम्पर्क मार्ग	1.000	28.730	22.978	14.431	8.547	2.531	1.592	0.939	20.447	12.839	7.608
		2	योग जनपद मेरठ	**2.700**	**87.983**	**70.369**	**37.697**	**32.672**	**7.750**	**4.157**	**3.593**	**62.619**	**33.540**	**29.079**
5	बागपत	1	ग्राम फतेहपुर माजरा-अमीनगर सराय रोड से फतेहपुर माजरा होते हुए बिलोचपुरा मार्ग प्रथम भाग	1.040	31.274	25.013	12.430	12.583	2.755	1.371	1.384	22.258	11.059	11.199
		1	योग जनपद बागपत	**1.040**	**31.274**	**25.013**	**12.430**	**12.583**	**2.755**	**1.371**	**1.384**	**22.258**	**11.059**	**11.199**
6	गाजियाबाद	1	सुराना बागपत पी॰डब्ल्यू॰डी॰ रोड के 11वें कि॰मी॰ से खिन्दौडा मार्ग	0.410	15.332	12.263	6.007	6.256	1.351	0.663	0.688	10.912	5.344	5.568
		1	योग जनपद गाजियाबाद	**0.410**	**15.332**	**12.263**	**6.007**	**6.256**	**1.351**	**0.663**	**0.688**	**10.912**	**5.344**	**5.568**
7	हापुड़	1	ढाना बक्सर मार्ग से ग्राम फुलढेहरा मार्ग का शेष भाग	0.600	21.787	17.425	9.047	8.378	1.919	0.998	0.921	15.506	8.049	7.457
		1	योग जनपद हापुड़	**0.600**	**21.787**	**17.425**	**9.047**	**8.378**	**1.919**	**0.998**	**0.921**	**15.506**	**8.049**	**7.457**
8	बुलन्दशहर	1	स्याना सैदपुर मार्ग से महाव प्रथम भाग।	0.750	28.855	23.078	11.320	11.758	2.542	1.248	1.294	20.536	10.072	10.464
		1	योग जनपद बुलन्दशहर	**0.750**	**28.855**	**23.078**	**11.320**	**11.758**	**2.542**	**1.248**	**1.294**	**20.536**	**10.072**	**10.464**
9	बिजनौर	1	कुरी से खाईखेड़ा मार्ग	0.695	33.310	26.641	13.388	13.253	2.934	1.477	1.457	23.707	11.911	11.796
	बिजनौर	2	भज्जावाला मार्ग अवशेष भाग	1.600	56.242	44.982	20.681	24.301	4.954	2.280	2.674	40.028	18.401	21.627

http://shasanadesh.up.gov.in

3- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है ,अत :इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

4- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	बिजनौर	3	बिजनौर-हल्दौर रोड से त्रिलोकपुर	1.000	32.150	25.714	12.805	12.909	2.832	1.412	1.420	22.882	11.393	11.489
		3	योग जनपद बिजनौर	**3.295**	**121.702**	**97.337**	**46.874**	**50.463**	**10.720**	**5.169**	**5.551**	**86.617**	**41.705**	**44.912**
10	अमरोहा	1	ग्राम दुर्गपुर से धनसूरपुर मार्ग	0.950	36.316	29.046	19.116	9.930	3.199	2.108	1.091	25.847	17.008	8.839
		1	योग जनपद अमरोहा	**0.950**	**36.316**	**29.046**	**19.116**	**9.930**	**3.199**	**2.108**	**1.091**	**25.847**	**17.008**	**8.839**
11	सम्भल	1	रामनगर से सफातनगर	2.650	97.626	78.081	21.743	56.338	8.600	2.397	6.203	69.481	19.346	50.135
		1	योग जनपद सम्भल	**2.650**	**97.626**	**78.081**	**21.743**	**56.338**	**8.600**	**2.397**	**6.203**	**69.481**	**19.346**	**50.135**
12	रामपुर	1	ग्राम शिकारपुर मार्ग	0.900	38.714	30.963	13.308	17.655	3.410	1.467	1.943	27.553	11.841	15.712
		1	योग जनपद रामपुर	**0.900**	**38.714**	**30.963**	**13.308**	**17.655**	**3.410**	**1.467**	**1.943**	**27.553**	**11.841**	**15.712**
13	बरेली	1	कुण्डरा कोठी से इनायतपुर मार्ग (प्रथम भाग)	0.500	13.676	10.938	7.484	3.454	1.205	0.826	0.379	9.733	6.658	3.075
	बरेली	2	ठिरिया बन्नौ जान से बड़ा गांव (प्रथम भाग)	1.600	53.965	43.161	16.555	26.606	4.754	1.825	2.929	38.407	14.730	23.677
		2	योग जनपद बरेली	**2.100**	**67.641**	**54.099**	**24.039**	**30.060**	**5.959**	**2.651**	**3.308**	**48.140**	**21.388**	**26.752**
14	बदायूँ	1	डहरपुर से कुन्डरा वीरमपुर (प्रथम भाग)	0.500	22.012	17.605	8.603	9.002	1.939	0.948	0.991	15.666	7.655	8.011
		1	योग जनपद बदायूँ	**0.500**	**22.012**	**17.605**	**8.603**	**9.002**	**1.939**	**0.948**	**0.991**	**15.666**	**7.655**	**8.011**
15	पीलीभीत	1	बरखेडा गजरौला रोड से आमडार मधुपुरी मार्ग प्रथम भाग	0.850	25.269	20.210	12.797	7.413	2.226	1.411	0.815	17.984	11.386	6.598
	पीलीभीत	2	सुहास बरखेडा रोड से वाहनपुर मार्ग प्रथम भाग	0.400	13.321	10.654	6.858	3.796	1.173	0.756	0.417	9.481	6.102	3.379
		2	योग जनपद पीलीभीत	**1.250**	**38.590**	**30.864**	**19.655**	**11.209**	**3.399**	**2.167**	**1.232**	**27.465**	**17.488**	**9.977**
16	शाहजहांपुर	1	मजरा रौसरकोठी लाल बाग से रौसर कोठी ग्राम चैराहा	0.650	76.085	60.853	33.062	27.791	6.702	3.646	3.056	54.151	29.416	24.735
		1	योग जनपद शाहजहांपुर	**0.650**	**76.085**	**60.853**	**33.062**	**27.791**	**6.702**	**3.646**	**3.056**	**54.151**	**29.416**	**24.735**
17	खीरी	1	गिरजापुरी मार्ग से प्ररसादपुरवा ग्राम तक	0.350	17.490	13.989	8.887	5.102	1.541	0.980	0.561	12.448	7.907	4.541
	खीरी	2	आसाम रोड से गुरगुट्टा सम्पर्क मार्ग प्रथम भाग	0.700	27.516	22.007	13.460	8.547	2.424	1.485	0.939	19.583	11.975	7.608
	खीरी	3	फरधान बाजार से नरदवल ग्राम तक	0.650	23.101	18.476	11.555	6.921	2.035	1.274	0.761	16.441	10.281	6.160
	खीरी	4	गन्ना क्रयकेन्द्र परसेहरा से परसेहरा ग्राम तक	0.600	21.212	16.965	10.794	6.171	1.868	1.190	0.678	15.097	9.604	5.493
	खीरी	5	चैखडिया से गोधिया सम्पर्क मार्ग	1.200	42.806	34.236	21.205	13.031	3.771	2.338	1.433	30.465	18.867	11.598
		5	योग जनपद खीरी	**3.500**	**132.125**	**105.673**	**65.901**	**39.772**	**11.639**	**7.267**	**4.372**	**94.034**	**58.634**	**35.400**
18	सीतापुर	1	सिहपुर से देवीपुर मार्ग	1.140	51.639	41.301	20.142	21.159	4.549	2.221	2.328	36.752	17.921	18.831
	सीतापुर	2	हरगांव लहरपुर रोड से बरियाडीह मार्ग प्रथम भाग	0.750	36.179	28.936	14.119	14.817	3.187	1.557	1.630	25.749	12.562	13.187
		2	योग जनपद सीतापुर	**1.890**	**87.818**	**70.237**	**34.261**	**35.976**	**7.736**	**3.778**	**3.958**	**62.501**	**30.483**	**32.018**
19	हरदोई	1	तिमिरपुर से भज्जापुरवा मार्ग भाग-1	1.100	50.152	40.112	19.845	20.267	4.418	2.189	2.229	35.694	17.656	18.038
		1	योग जनपद हरदोई	**1.100**	**50.152**	**40.112**	**19.845**	**20.267**	**4.418**	**2.189**	**2.229**	**35.694**	**17.656**	**18.038**
20	अयोध्या	1	बिल्वहरघाट से जमूरतगंज सम्पर्क मार्ग से पुरखेपुर में सियाराम वर्मा के घर तक	0.530	24.142	19.309	9.397	9.912	2.127	1.036	1.091	17.182	8.361	8.821
		1	योग जनपद अयोध्या	**0.530**	**24.142**	**19.309**	**9.397**	**9.912**	**2.127**	**1.036**	**1.091**	**17.182**	**8.361**	**8.821**
21	अम्बेडकर नगर	1	सुलतानपुर से तुलसीपुर सम्पर्क मार्ग	0.400	17.213	13.767	7.065	6.702	1.516	0.779	0.737	12.251	6.286	5.965
		1	योग जनपद अम्बेडकरनगर	**0.400**	**17.213**	**13.767**	**7.065**	**6.702**	**1.516**	**0.779**	**0.737**	**12.251**	**6.286**	**5.965**

http://shasanadesh.up.gov.in

22	गोण्डा	1	सांगीपुर मंगरावा तिनौना पेन्टेड रोड से पी.डबलू.डी. रोड तक का अवशेष भाग	0.500	26.453	21.157	10.398	10.759	2.330	1.147	1.183	18.827	9.251	9.576
		1	योग जनपद गोण्डा	**0.500**	**26.453**	**21.157**	**10.398**	**10.759**	**2.330**	**1.147**	**1.183**	**18.827**	**9.251**	**9.576**
23	बलरामपुर	1	चमरबोझिया मार्ग से नचैरी घंघरा मार्ग का प्रथम भाग	0.745	40.483	32.378	15.897	16.481	3.566	1.753	1.813	28.812	14.144	14.668
		1	योग जनपद बलरामपुर	**0.745**	**40.483**	**32.378**	**15.897**	**16.481**	**3.566**	**1.753**	**1.813**	**28.812**	**14.144**	**14.668**
24	बहराइच	1	ताकिया मोड़ से रामपुर गोडवा सम्पर्क मार्ग अवशेष भाग	0.760	33.538	26.824	15.344	11.480	2.954	1.692	1.262	23.870	13.652	10.218
		1	योग जनपद बहराइच	**0.760**	**33.538**	**26.824**	**15.344**	**11.480**	**2.954**	**1.692**	**1.262**	**23.870**	**13.652**	**10.218**
25	बस्ती	1	अहरा चोलखरी मार्ग से असियापार डिवहरी मार्ग का मरम्मत कार्य	0.800	37.710	30.160	14.558	15.602	3.322	1.605	1.717	26.838	12.953	13.885
		1	योग जनपद बस्ती	**0.800**	**37.710**	**30.160**	**14.558**	**15.602**	**3.322**	**1.605**	**1.717**	**26.838**	**12.953**	**13.885**
26	कुशीनगर	1	लोक निर्माण विभाग रोड से धर्मपुर खजुरिया तक द्वितीय भाग	0.800	51.928	41.532	20.550	20.982	4.574	2.266	2.308	36.958	18.284	18.674
		1	योग जनपद कुशीनगर	**0.800**	**51.928**	**41.532**	**20.550**	**20.982**	**4.574**	**2.266**	**2.308**	**36.958**	**18.284**	**18.674**
		41	**महायोग-**	**35.490**	**1406.217**	**1124.691**	**562.497**	**562.194**	**123.871**	**62.028**	**61.843**	**1000.820**	**500.469**	**500.351**

(रूपये पांच करोड़ बासठ लाख उन्नीस हजार चार सौ मात्र)

सुशील कुमार शुक्ल
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है ,अत :इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

4- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।